

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2017/1065

दिनांक:- 19/12/17

आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल, बीकानेर की आवासीय कॉलोनी पवन पुरी बीकानेर में आवास संख्या 3-घ-36, 3-घ-42, एवं 3-घ-44, को उप आवासन आयुक्त वृत्त बीकानेर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वितीय द्वारा तीन आवासों का निस्तारण नीलामी के माध्यम से निस्तारण करने की अनुरोध की हैं अतः तीनों आवासों का निस्तारण नीलामी के माध्यम से निस्तारित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं उक्त आवासों का निस्तारण निम्नांकित शर्तों पर किया जाना प्रस्तावित है:-


1. आवासीय योजना में आवास/फ्लेट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याचों को आवास/फ्लेट आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हों लम्बित नहीं है।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/ फ्लेट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस तथ्य को प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवास/ फ्लेट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचारधीन नहीं है। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।"
5. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के प्रस्तावों के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त/अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (मुख्यालय) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता- द्वितीय, रा0 आ0 मा0, जोधपुर।
4. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक, रा0आ0म0 जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, रा0आ0म0, वृत्त बीकानेर।
6. आवासीय अभियंता, खण्ड बीकानेर रा0आ0म0 बीकानेर।
7. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्दिष्ट किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियंता को मेल करें।
8. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक